Ministry of Culture
Government of India



#LongLiveDemocracy

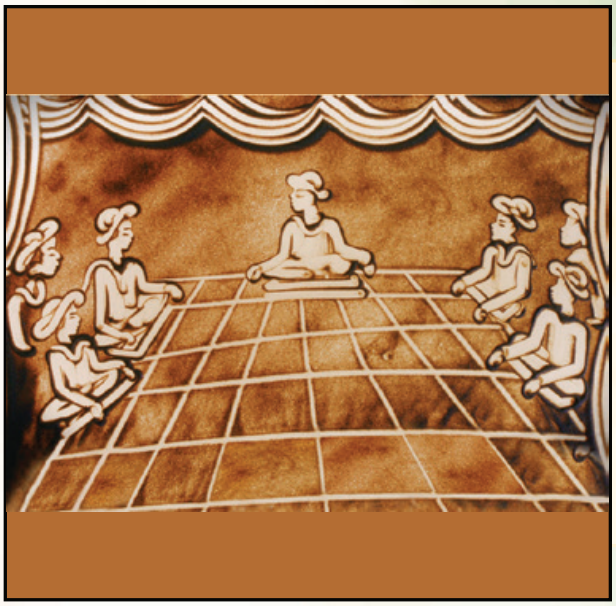
भारत में प्राचीन काल से चली आ रही लोकतंत्र की जड़ें



वेद

ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा, समिति और संसद जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जो प्रारंभिक काल में सार्वजनिक भागीदारी और समतावादी शासन का संकेत देते हैं।

"एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति" (ऋग्वेद 1/164/46) (परम सत्य एक है, ऋषिगण उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं।)



जनपद

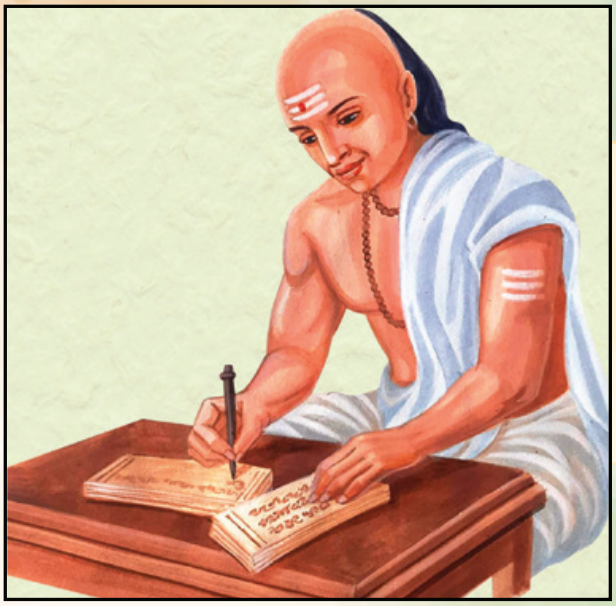
7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जनपदों में शासन के रूप में राजत्व और गणतंत्र दोनों का उल्लेख मिलता है। निर्वाचित गणप्रमुखों के नेतृत्व में गणराज्य चलता था। यहाँ संथागरा सार्वजनिक भागीदारी से मामलों का फैसला करते थे। वर्तमान बिहार और नेपाल के क्षेत्र पर शासन करने वाले लिच्छवी अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित शासन के लिए जाने जाते थे।



बौद्ध संघ और जैन ग्रंथ

बौद्ध संघ और जैन ग्रंथों के ऐतिहासिक विवरण निर्णय लेने में लोगों की भूमिका को दर्शाते हैं, जो मजबूत लोकतांत्रिक लोकाचार को दर्शाता है। विनय-पिटक में मतदान के तरीके, संथागरा की संरचना और महासम्मत के चुनाव का वर्णन है।

लोकतांत्रिक परंपराओं के मूल में बसे जन-केंद्रित दृष्टिकोण और जन-भागीदारी



अर्थशास्त्र

वेदों में जन कल्याण, कानून के शासन और शासन में बहुस्तरीय निर्णय लेने पर जोर दिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन जन-केंद्रित और न्यायपूर्ण सिद्धांतों का विस्तार पढ़ने को मिलता है।



अशोक के शिलालेख

सम्राट अशोक ने 265-238 ईसा पूर्व के आसपास जिम्मेदार, जनकेंद्रित शासन को अपनाया। उन्होंने इन विचारों को पूरे भारत में शिलालेखों के माध्यम से फैलाया।

श्रेणिसंघ में लोकतंत्र का तत्व

चुनाव और जवाबदेही

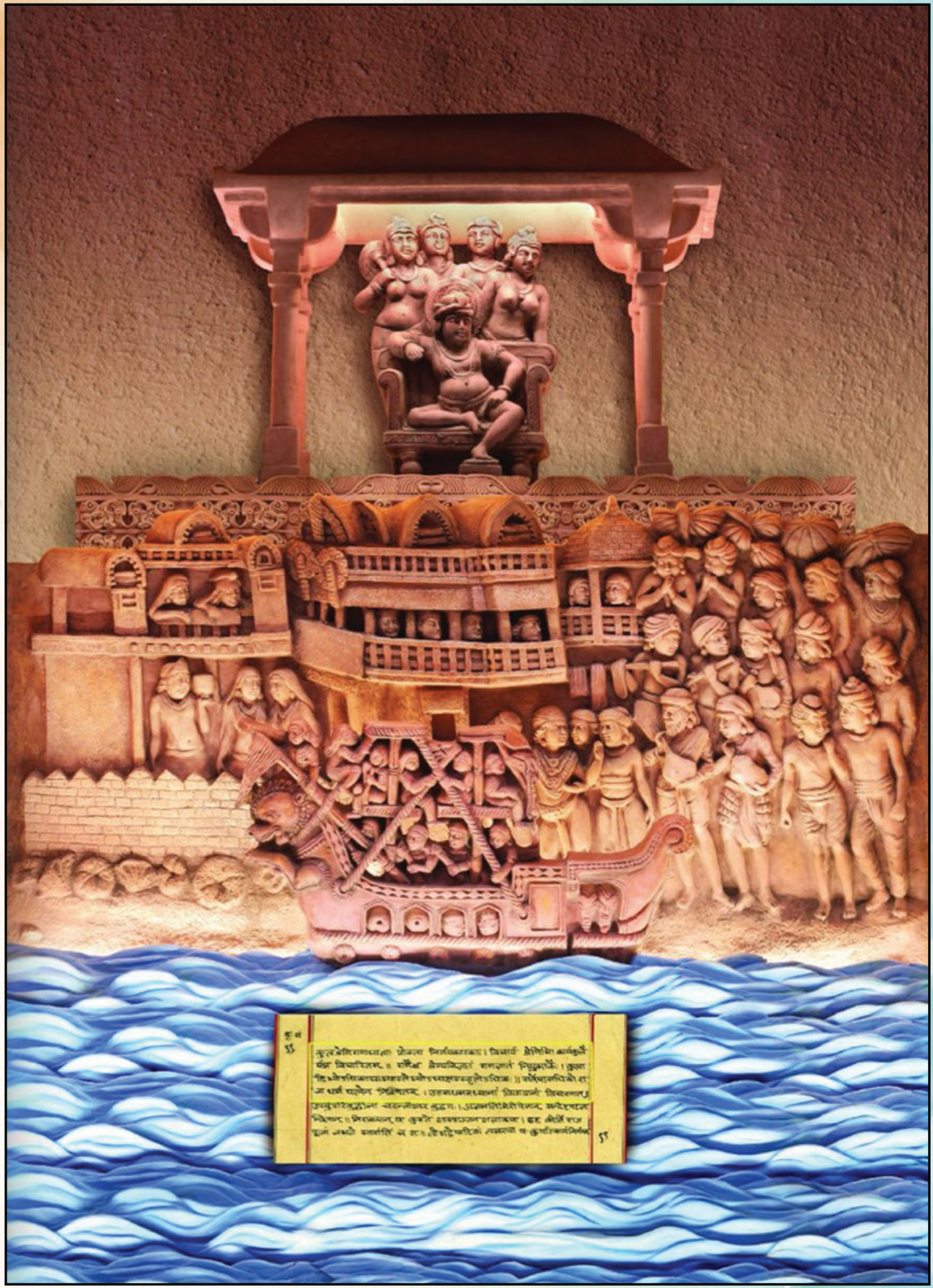
भारत के लोकतांत्रिक प्रशासन में गिल्ड और शहर के नेताओं के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाना शामिल था।

बहुस्तरीय प्रणाली

पूरे भारत में, यह सिद्धांत अक्सर बहुस्तरीय प्रणाली के रूप में देखा जा सकता था, जिसमें व्यापारी-गिल्ड (श्रेणी संघ), शहर प्रशासन (निगम), जेठका (प्रमुख) और श्रेष्ठी (एक संघ का प्रमुख) जैसे निर्वाचित प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते थे, जो शहरों और गांवों पर शासन करते थे।

ग्वालियर के मंदिर में शिलालेख

वैलभट्टस्वामी मंदिर शिलालेख में बताया गया है कि श्री-गोपागिरी (आज के ग्वालियर) पर कोट्टापाल (किले के प्रमुख), श्री भोजदेव अल्ला और किले के कमांडर तत्तक का शासन था। शहर का प्रशासन व्यापारी वाव्वियाका और व्यापारी इच्छुवाक द्वारा बोर्ड के सदस्यों के समर्थन से किया जाता था।



प्रतिनिधित्व के दिशा-निर्देश देते उथिरामेरुर के शिलालेख

उथिरामेरुर में मंदिर

तमिलनाडु के एक गांव उथिरामेरुर में स्थित वैकुंठ पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।

प्रचलित प्रथाएं दिखाते शिलालेख

यह मंदिर परंतक चोल (907-55 ई.) के शासन के दौरान ग्राम निकायों के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव की लोकतांत्रिक प्रथाएं दिखाते शिलालेखों के लिए जाना जाता है। इसमें सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया, उनकी योग्यता, कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ और यहाँ तक कि वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं जिनमें उन्हें उनके पदों से हटाया जा सकता था।



परामर्शी प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी से प्रभावित शासन



परामर्श और स्वतंत्रता

भारतीय शासक कराधान, संपत्ति के अधिकार और स्थानीय-सामुदायिक मुद्दों पर लोगों से परामर्श करते थे।



ईशान्य भारत में लोकतंत्र

पूर्वोत्तर भारत में सामुदायिक परिषदों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की समृद्ध परंपरा रही है। इसके उदाहरणों में तिवास (असम), जुम्सा (सिक्किम), केबांग (अरुणाचल), हौसा (मणिपुर) शामिल हैं।



अनुभव मंडप

दुनिया की पहली संसद के रूप में मशहूर इस लोकतांत्रिक मंच की स्थापना 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर ने बहस, चर्चा और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए की थी।

ग्रामीण और शहरी इलाकों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र



जन भागीदारी: लोकतंत्र की आधारशिला

स्थानीय स्वशासन प्रणालियों जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर निगम और परिषद जैसे निकायों ने स्थानीय समुदायों को उनके मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्थानीय शासन के विभिन्न रूप जो आज भी सक्रिय हैं

भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित मलाणा गाँव अपनी अनूठी स्वशासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। मध्य भारत में संथाल और गोंड समुदाय और दक्षिणी भारत में कोल्लम समुदाय भी शामिल हैं। अतः स्थानीय स्वशासन प्रणाली ऐतिहासिक रूप से भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का भंडार रही है।

भारतीयों ने अंग्रेजों पर 'सुधारों और अधिनियमों' में भागीदारी की मांगों को शामिल करने का दबाव डाला

1909 का भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले मिंटो सुधार)

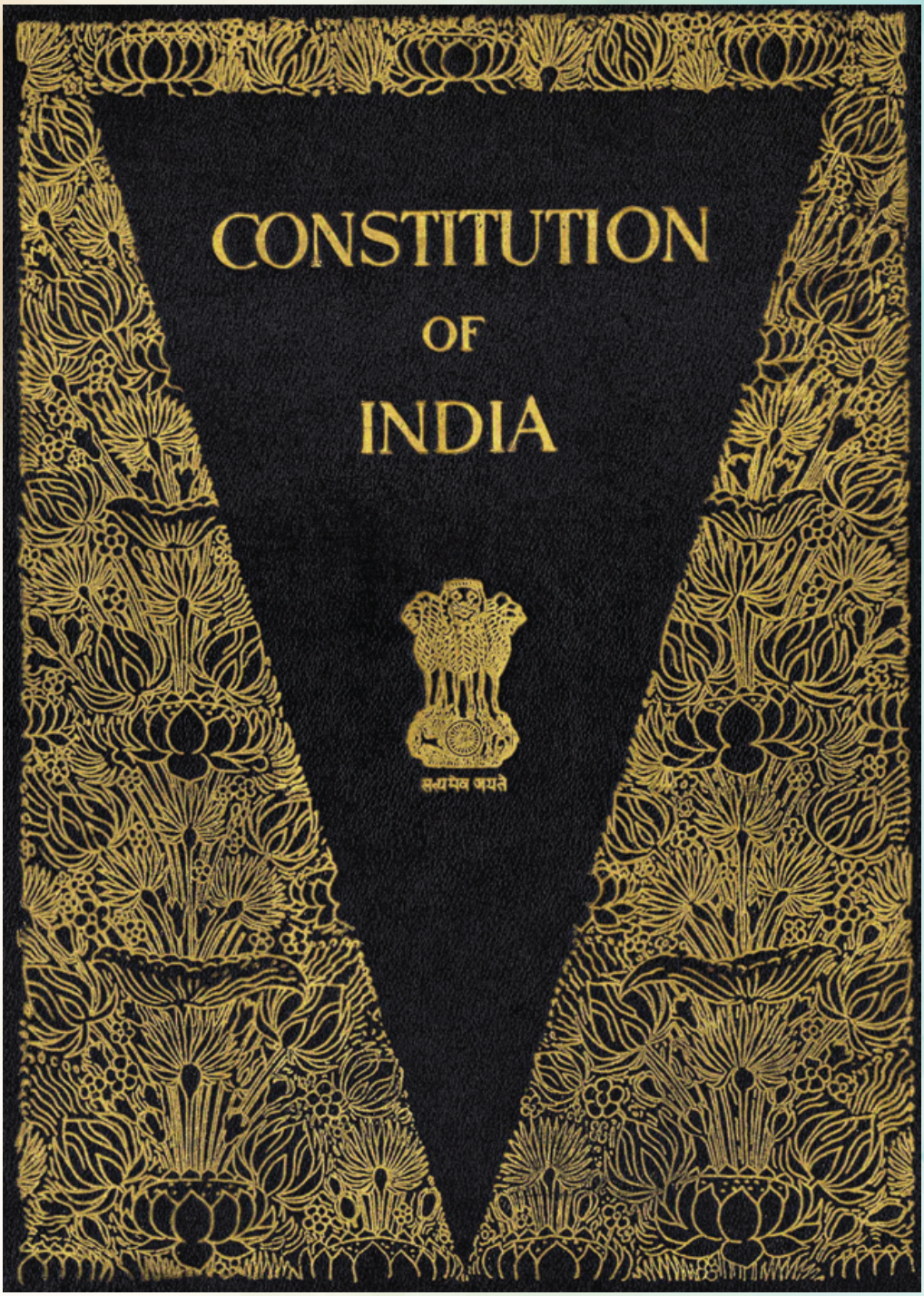
मॉर्ले -मिंटो सुधार, ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन में अधिक भागीदारी के लिए बढ़ती भारतीय मांगों को संबोधित करने और राजनीतिक अशांति को रोकने के लिए लागू किए गए थे।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार)

तिलक, एनी बेसेंट और अन्य जैसे भारतीय नेताओं ने अधिक स्वायत्तता और उत्तरदायी सरकार की वकालत की। हालाँकि ये सुधार स्वशासन प्रदान करने में विफल रहे, लेकिन इसने विधायिकाओं में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार किया और भारतीयों को कुछ मतदान अधिकार दिए गए। इसने प्रांतीय स्तर पर द्विशासन की भी शुरुआत की, जिससे निर्वाचित भारतीय मंत्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को संभालने की अनुमति मिली।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रांतों में निर्वाचित भारतीय सरकारें वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने लायक बनीं। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा और मतदाताओं का काफी विस्तार किया, जिससे लगभग 10% आबादी को मतदान करने की अनुमति मिली।



भारत का संविधान (1949)

भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 से कई संरचनात्मक और प्रशासनिक विशेषताएं ग्रहण कीं। इसमें संशोधन की सुविधा देते हुए केंद्रीय प्राधिकार और राज्य स्वायत्तता दोनों की अनुमति दी गई।

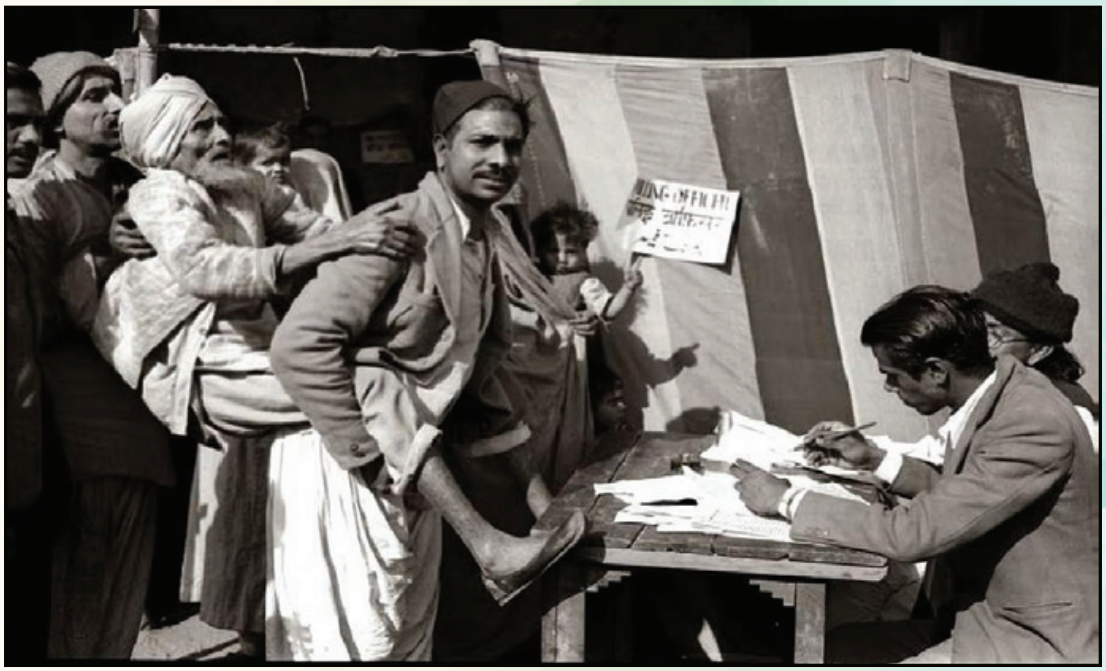
स्वतंत्र भारत और संसदीय प्रणाली (1)

सत्ता का विभाजन

संसदीय प्रणाली ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित किया।

स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव

यह 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ, जिसमें दुनिया की 1/6 आबादी संभावित मतदाता थी। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था।



1975 तक, भारत ने पाँच आम चुनाव आयोजित किए

भारत ऐसा पहला उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र था जिसने नियमित लोकतांत्रिक चुनाव बनाए रखे।

स्वतंत्र भारत और संसदीय प्रणाली (2)

क्षेत्रीय और विपक्षी दलों का उदय

1950 के दशक में एक पार्टी के वर्चस्व वाले परिदृश्य से आगे बढ़ते हुए भारत ने मजबूत क्षेत्रीय और विपक्षी दलों का उदय देखा।

लचीला लोकतंत्र

आंतरिक संकटों (जैसे युद्ध और अकाल) के बावजूद, भारत ने मतपत्रों के माध्यम से राज्य सरकारों में बदलाव के साथ चुनावी विश्वसनीयता बनाए रखी।

मतदाताओं की संख्या में वृद्धि

भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1951-52 में 173 मिलियन से बढ़कर 1971 में 274 मिलियन तक पहुँची।



आपातकाल से ठीक पहले का समय (1)

1973-74: व्यापक आर्थिक संकट

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी और रेलवे कर्मचारियों, छात्रों और किसानों द्वारा व्यापक हड़तालें।

मार्च-अप्रैल 1974: भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन

गुजरात में नव निर्माण आंदोलन के बैनर तले बड़े पैमाने पर सरकारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसके कारण सरकार गिर गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।



आपातकाल से ठीक पहले का समय (2)



मई 1974: विरोध प्रदर्शन में तेज़ी

1.7 मिलियन रेलवे कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर चले गए, जिससे परिवहन और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। आज़ाद भारत में रेल रोको का यह पहला उदाहरण था। सरकार ने इस हड़ताल को कुचल दिया।



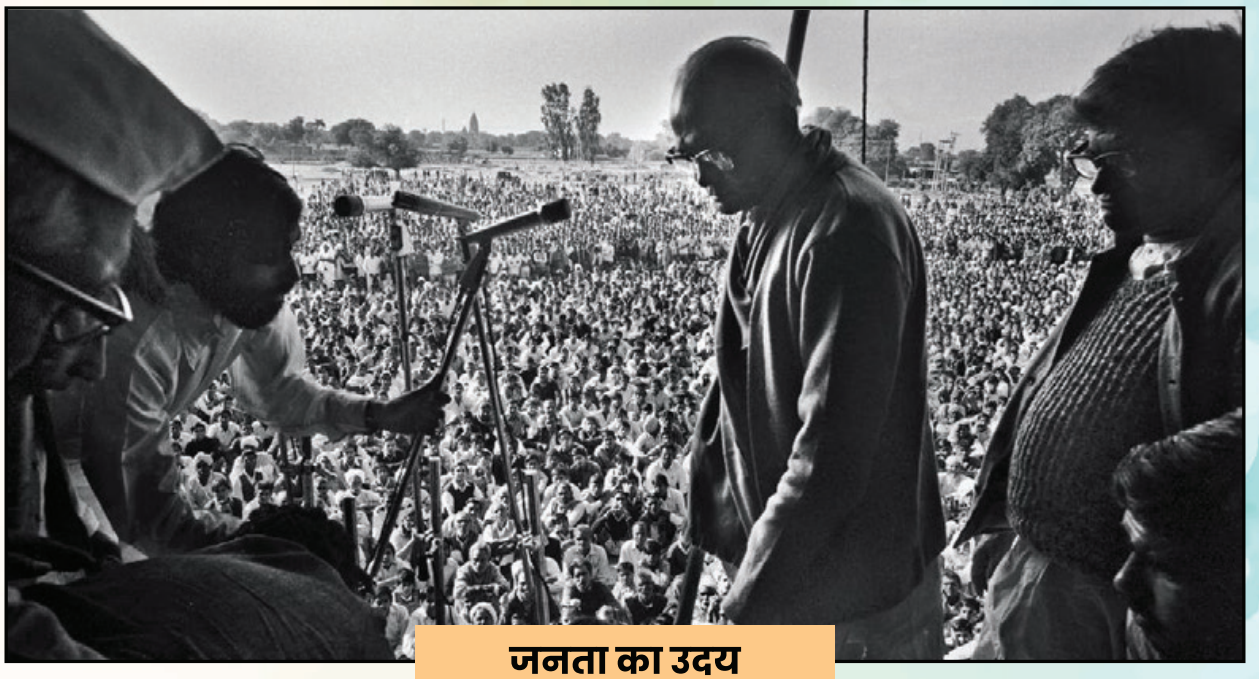
आपातकाल से ठीक पहले का समय (3)

जून 1974: अहिंसक सविनय अवज्ञा का आह्वान

लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार राज्य में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया जो धीरे-धीरे एक लोकप्रिय जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। इसे बिहार आंदोलन के रूप में जाना गया।

संपूर्ण क्रांति

जून 1974 में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली की। इस आंदोलन के दौरान जेपी ने शांतिपूर्ण "संपूर्ण क्रांति" का आह्वान किया।



जनता का उदय

आपातकाल से ठीक पहले का समय (4)

12 जून 1975

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र की तत्कालीन सांसद श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया और 1971 में लोकसभा के लिए हुए उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया।

ऐतिहासिक फैसला

न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने अपने फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अगले 6 वर्षों तक निर्वाचित पदों से भी प्रतिबंधित कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।


THE TIMES OF INDIA

HIGH COURT VERDICT UNSEATS INDIRA

Debarred from elective posts for 6 years

Front set for decisive win



गुजरात में सत्ता परिवर्तन

उसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। जनता मोर्चा गठबंधन ने 86 सीटें जीतकर सरकार बनाई।

आपातकाल से ठीक पहले का समय (5)

तीव्र होता विरोध

विपक्षी दलों और नागरिक समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में तेज हो गया और दिल्ली में भी लोग सड़कों पर उतरे।

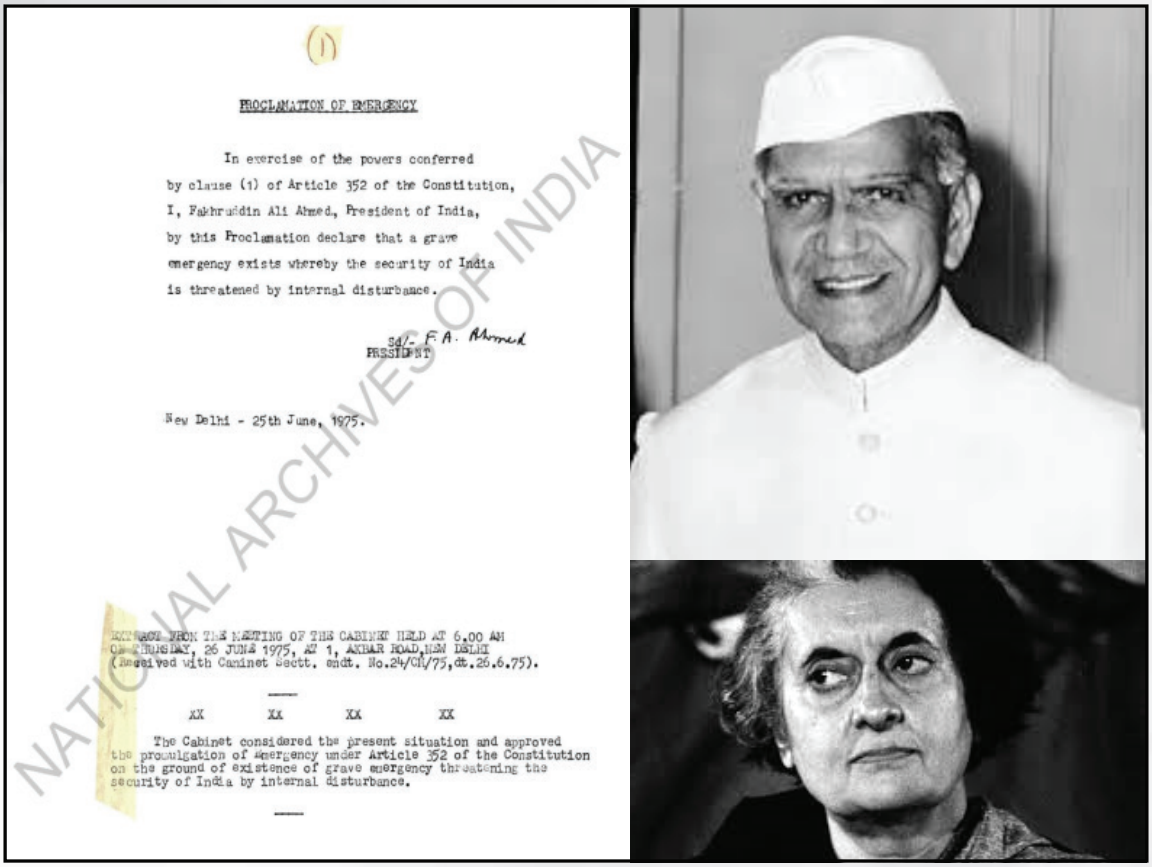


25 जून 1975: दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली

जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली की, जिसमें सेना और पुलिस से सरकार के "अवैध आदेशों" का पालन न करने का आह्वान किया गया।



जून 1975 की एक काली रात



(1)

PROCLAMATION OF EMERGENCY

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by this Proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbance.

Sd/- F. A. Ahmed
PRESIDENT

New Delhi - 25th June, 1975.

EXTRACT FROM THE MEETING OF THE CABINET HELD AT 6.00 AM ON THURSDAY, 26 JUNE 1975, AT 1, AKBAR ROAD, NEW DELHI
(Received with Caninet Secty. endt. No.24/CM/75, dt.26.6.75).

XX XX XX XX

The Cabinet considered the present situation and approved the proculgation of emergency under Article 352 of the Constitution on the ground of existence of grave emergency threatening the security of India by internal disturbance.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

25 जून 1975, देर रात

राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 'आंतरिक अशांति' का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

अनुच्छेद 352 (1)

अनुच्छेद 352 (1) राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति (जिसे बाद में सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया) से खतरे में है।

रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 1975/आषाढ़ 5, 1897
No. 169] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1975/ASADHA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June 1975

G.S.R. 353(E).—The following Proclamation of Emergency by the President of India, dated the 25th June, 1975, is published for general information :—

'PROCLAMATION OF EMERGENCY'

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by this Proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbance.

NEW DELHI;
The 25th June, 1975.

F. A. AHMED,
President.

[No. II/16013/1/75-S&P(D.II)]

NEW DELHI;
The 26th June, 1975.

S. L. KHURANA, Secy.

अगली सुबह, 26 जून 1975



THE HINDU

India's National Newspaper

President Proclaims National Emergency

"Security of India Threatened by Internal Disturbances"

Preventive Arrests: Press Censorship Imposed

PM Explains Action

आपातकाल का समाचार लोगों तक सुबह-सुबह पहुँचा, रेडियो पर हुई घोषणा

राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण ने सुबह 8:00 बजे आपातकाल की घोषणा की।



The Tribune

ESTABLISHED 1881

Chandigarh, Friday, June 27, 1975

PRESIDENT DECLARES EMERGENCY

Strengthen PM's Hands: Parmar

"Threat To Security From Internal Disorder"

Step Taken To Preserve Unity, Says Zail Singh

676 Arrested All Over Country

PACT SIGNED FOR SALE OF IRON ORE TO IRAN

आपातकाल की स्थिति
अधिकार निलंबित



निलंबित मौलिक अधिकार

संविधान में निर्धारित आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार करते हुए इस अवधि में "आंतरिक अशांति" को आपातकाल घोषित करने के आधार के रूप में शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और अन्य संवैधानिक गारंटियाँ सीमित कर दी गईं।

अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता का अधिकार
अनुच्छेद 19: भाषण, अभिव्यक्ति, सभा आदि की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA)

एक लाख से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार
और आम लोग गिरफ्तार।

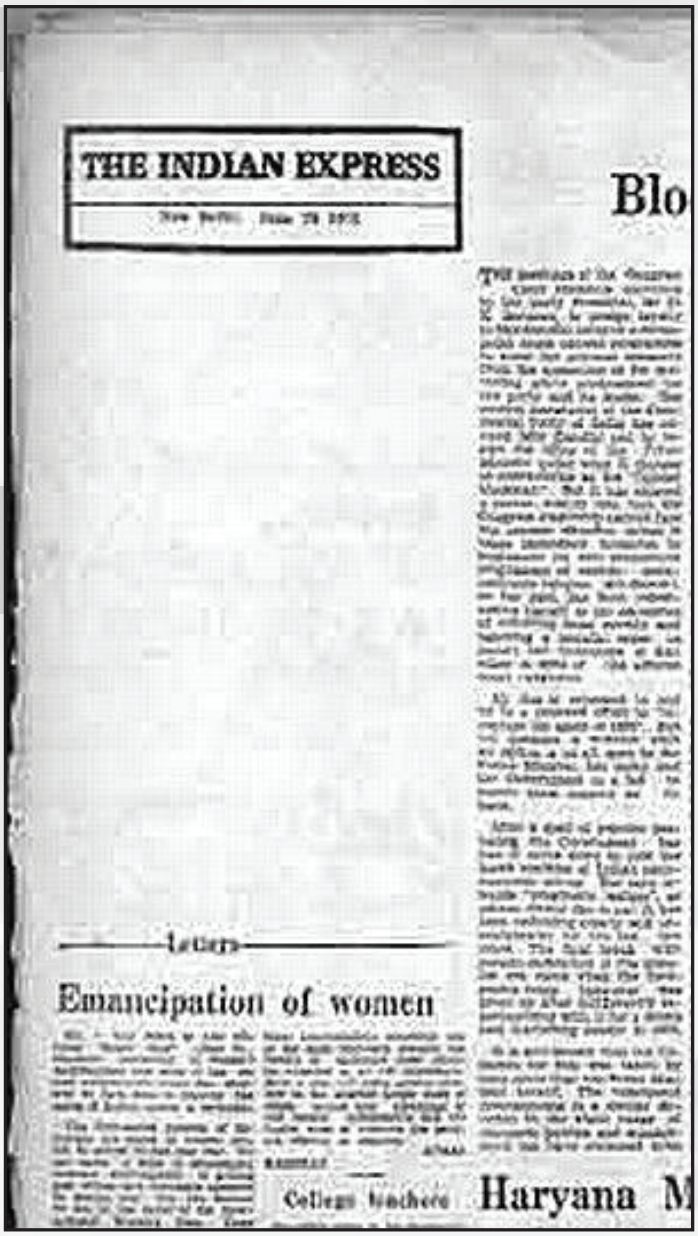
प्रमुख समाचार पत्रों की बिजली आपूर्ति काट दी गई

छपने पर सेंसरशिप

दुबारा बहाल होने के बाद समाचार पत्रों पर भारी सेंसरशिप लगा दी गई और सरकार द्वारा अनुमोदित सेंसर से गुज़रे बिना किसी भी समाचार को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गई।

रिक्त संपादकीय के ज़रिए विरोध प्रदर्शन





कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं, कोई उम्मीद नहीं
संकट में न्यायालय



LUXMI
Manufacturers: C. R. ALUCK & SONS LTD. LDH
Distributors: RATTAN SINGH BHATIA & CO.
6-Ansr Court Shankar Market, Cn. Chowk, Delhi 6
PHONE: 260308

INDIAN EXPRESS

Largest combined net sales among all daily newspapers in India

Vol. XLIII No. 347 — New Delhi: Tuesday December 16 1975 — 30 p

Phillips
INTERLOCK & FINE
FAIRY SILKING
FAIRY KNITTING IND. DELHI-6

Parliament session from January 5

Govt order cannot be challenged during emergency, says De

By Our Legal Correspondent

NEW DELHI, Dec 15.

A special bench of the Supreme Court today began hearings on the issue of right of citizens to move High Courts for writs of habeas corpus.

B. Shiva Rao dead

President, PM pay tributes

Bangladesh keen on strengthening ties with India: Sayem

Tabarak Hussain for Moscow

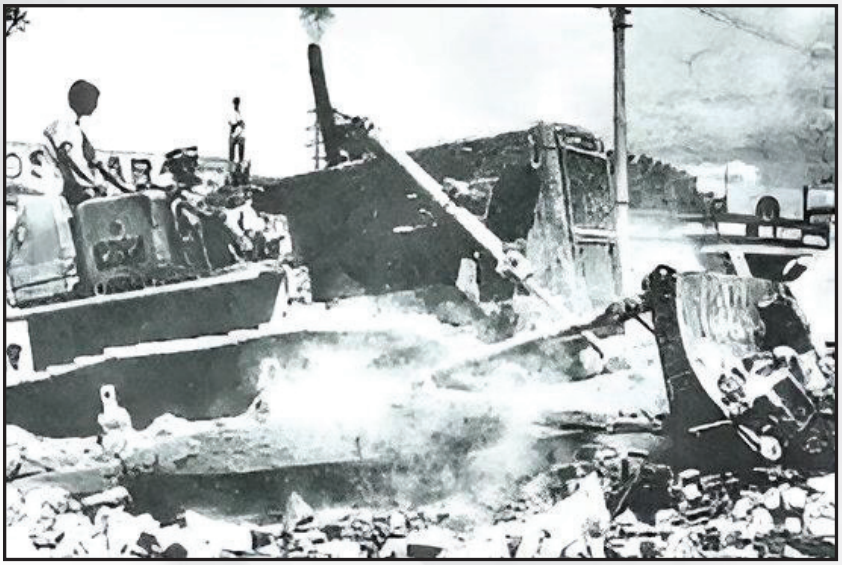
Kenya and Zambia call for truce

UNITA-FNLA troops capture key town

जबरन नसबंदी
भय का माहौल



तुर्कमान गेट पर सामूहिक नसबंदी और पुनर्वास अभियान (1976)



पुरानी दिल्ली में झुग्गियों पर कार्रवाई

अप्रैल-मई 1976 में, सरकार ने पुरानी दिल्ली में झुग्गियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस इलाके में तुर्कमान गेट भी शामिल था जहाँ बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान और पुनर्वास अभियान चलाए गए। बुलडोजरों ने घरों को गिराया, और पुलिस ने निवासियों को जबरन हटा दिया। स्थानीय समुदायों ने विरोध किया लेकिन उन्हें दबा दिया गया।



जबरन बेदखली, घातक बलप्रयोग



18 अप्रैल 1976

पुलिस ने तुर्कमान गेट पर तोड़फोड़ का विरोध कर रहे निवासियों पर गोलियां चलाईं। जहाँ सरकार ने छह मौतों की बात स्वीकार की, वहीं अन्य सूत्रों से पता चलता है कि यह संख्या अधिक थी। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने लगभग 12 मौतों का अनुमान लगाया था।

स्थानीय मीडिया को घटना की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था

केवल बीबीसी जैसे विदेशी स्रोतों ने ही इसे कवर किया। 1978 की एक जांच में पाया गया कि यह तोड़फोड़ राजनीति से प्रेरित थी, और बाद में शाह आयोग ने इसे "अवैध" और "निर्दयी" कहा।

आपातकाल के दौरान भारत के संवैधानिक ढांचे और मूल्यों पर हमला

42वां संशोधन अधिनियम (1976)

इसे "मिनी संविधान" भी कहा जाता है। इसे 1 सितंबर 1976 को तत्कालीन कानून मंत्री एच.आर. गोखले ने लोकसभा में पेश किया था। इस अधिनियम ने संसद का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया।


SUNDAY STANDARD

MEHRA SONS

Johnson

Swaran panel wants concept of socialism clearly put in statute

TODAY

Doccaleader Stern measures to curb smuggling

Iran visit

नीति-निर्देशक सिद्धांत

इसने नीति-निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 19) के ऊपर वरीयता दी और प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े।

सशस्त्र बलों की तैनाती

अनुच्छेद 257ए जोड़ा गया जो केंद्र को "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के लिए किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों की तैनाती करने की अनुमति देता है।

आपातकाल के दौरान जन आंदोलन

विपक्ष का दमन

राजनैतिक विरोधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई, सार्वजनिक बैठकों और प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। कई विपक्षी नेताओं को उनके घरों से उठाकर जेल भेज दिया गया।

विरोध प्रदर्शनों और राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

राजनैतिक रैलियों, हड़तालों और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विपक्षी दलों की संगठनात्मक मशीनरी को ध्वस्त कर दिया गया और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को धमकी या कारावास का सामना करना पड़ा।



लोकनायक जयप्रकाश नारायण की डायरी



Prison Diary : 1975

July 21

My world lies in a shambles all round me. I am afraid I shall not see it put together again in my life-time. Maybe my nephews and nieces will see that. May be.

एकान्त कारावास

जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौरान 130 दिन एकान्त कारावास में बिताए, जहां उन्हें चिकित्सकीय जांचों के अलावा किसी के भी सम्पर्क में नहीं आने दिया गया।

स्वास्थ्य में गिरावट

जेल में लम्बे समय तक रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्होंने अपनी डायरी में गहरी निराशा व्यक्त की।

July 25

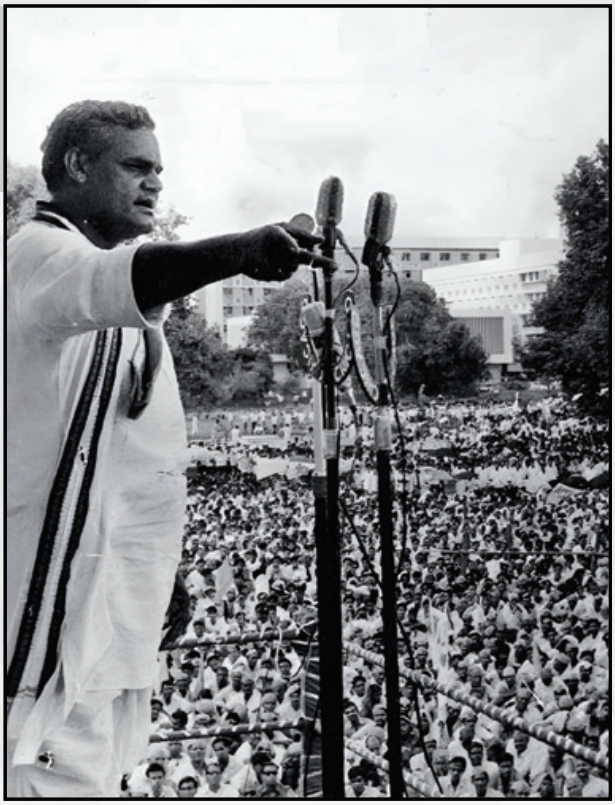
Did not feel like writing the last two days. Every nail driven deeper into the coffin of Indian democracy is like a nail driven into my heart. I have searched my heart and I can say truly

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बैंगलोर की जेल में बंद

जेल में कविता

बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने अक्सर कविताएँ लिखीं। कारावास और अन्याय के दर्द को उजागर करने वाली उनकी कविताओं का संग्रह "कैदी कविराय की कुंडलियाँ" के नाम से प्रकाशित हुआ।

उन्होंने आपातकाल की सालगिरह पर भी कविता लिखी।



एक बरस बीत गया

झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास
सिसकी भरते सावन का, अन्तर्घट रीत गया
एक बरस बीत गया।

सींकचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग
धरती से अंबर तक, गूंज मुक्ति गीत गया
एक बरस बीत गया।

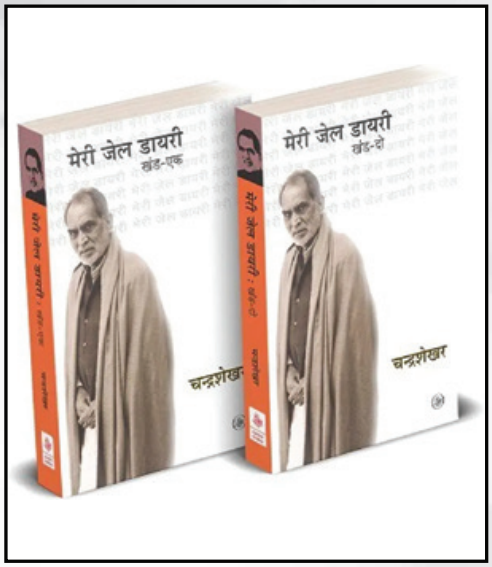
पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन
लौट कभी आएगा, मन का जो मीत गया
एक बरस बीत गया।

~ अटल बिहारी वाजपेयी

जेल से रिहाई के बाद रामलीला मैदान में उन्होंने कहा:

बाद मुद्दत मिले हैं दीवाने, कहने-सुनने को बहुत हैं अफसाने
खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी भला कौन जाने

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधानमंत्री आडवाणी जी भी आपातकाल के दौरान हुए गिरफ्तार

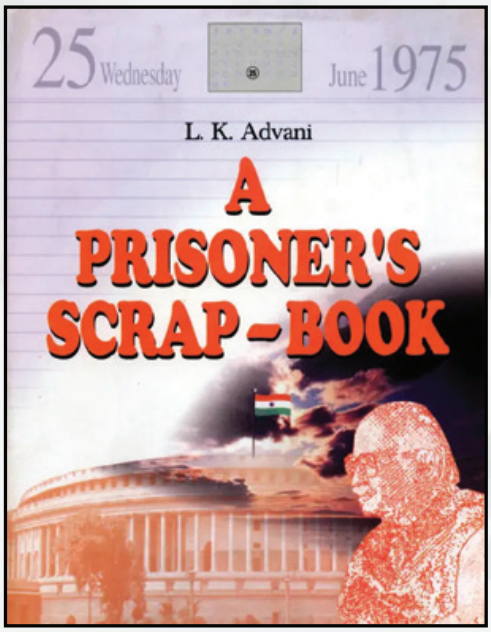


"इससे मुझे मानसिक शांति मिली। मेरे आस-पास जो कुछ भी हो रहा था, उससे सहमत होना मेरे लिए संभव नहीं था। कोई यह कैसे दावा कर सकता है कि देश का भविष्य एक ही व्यक्ति पर टिका है? इतनी चाटुकारिता और इतनी गुलामी मेरी समझ से परे है।"

- पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपनी गिरफ्तारी पर।

"26 जून, 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का आखिरी दिन साबित हो सकता है, जैसा कि हम समझते हैं। उम्मीद है कि यह डर निराधार साबित होगा।"

-वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी आपातकाल के बारे में अपनी डायरी में



जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य लोगों को 10 जून 1976 को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया और कुख्यात बड़ौदा डायनामाइट मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया



‘हमारे द्वारा पहनी गई ये जंजीरें उस पूरे राष्ट्र का प्रतीक हैं जिसे जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा गया है।’

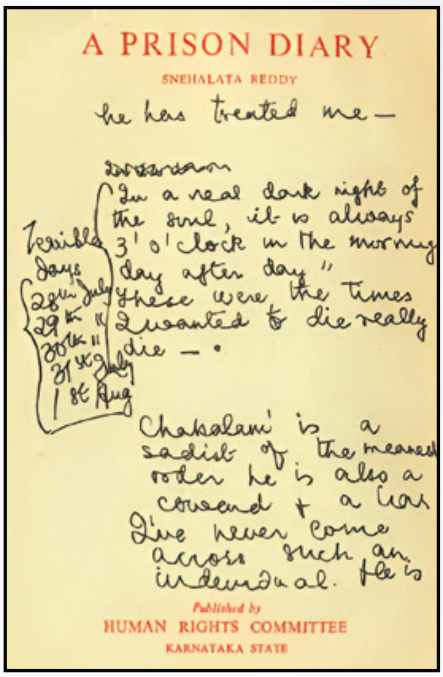
"मैं यहाँ एक धीमी मौत मरूंगी, एक भूले हुए गीत की तरह।"

- स्नेहलता रेड्डी

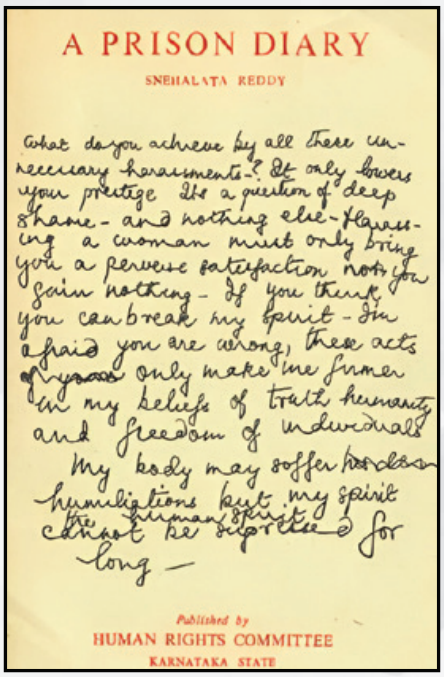
अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी (जिन्हें 'संस्कार' और 'चंदा मारुथा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है) को 2 मई 1976 को गिरफ्तार किया गया और अपने सहयोगियों का नाम बताने से इनकार करने पर मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया।

जेल में, उपेक्षा, अस्थमा और कठोर परिस्थितियों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया- उन्होंने लिखा, "मैं यहां एक धीमी मौत मरूंगी, एक भूले हुए गीत की तरह।"

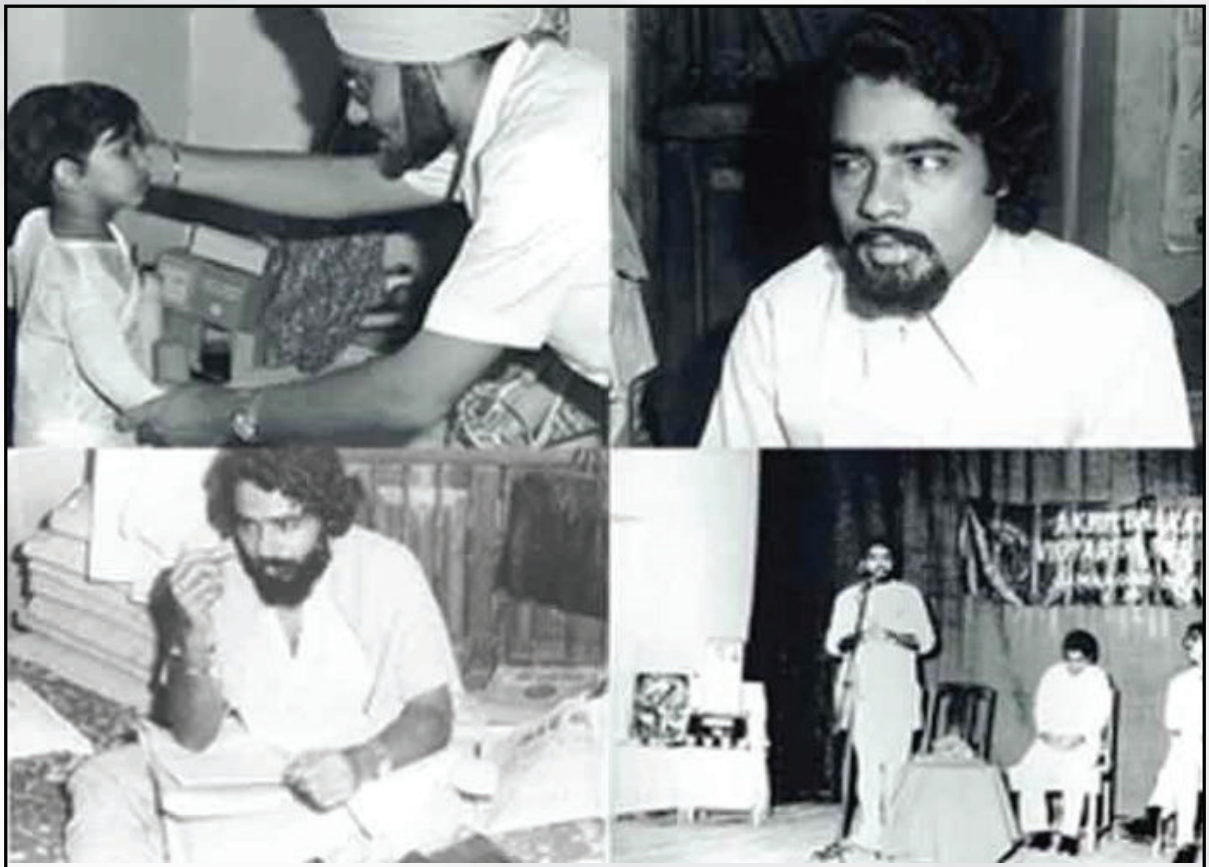
उचित उपचार न मिलने के बाद, उन्हें अंततः दिसंबर में पैरोल पर रिहा किया गया और कुछ सप्ताह बाद 20 जनवरी 1977 को उनकी मृत्यु हो गई।







प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय एक युवा कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया (1)







प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय एक युवा कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया (2)

बैठकें आयोजित कीं और साहित्य का प्रसार किया

चरम सेंसरशिप के बावजूद, उन्होंने और अन्य स्वयंसेवकों ने बैठकें आयोजित कीं और भूमिगत साहित्य का प्रसार किया।उन्होंने संविधान और तत्कालीन सरकार की ज्यादतियों से जुड़ी सामग्री को ट्रेनों के ज़रिए भेजा, ताकि यह संदेश दूरदराज़ इलाकों तक बिना ज़ब्त हुए पहुँचाया जा सके।

लेख लिखे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुँच बनाई

कांग्रेस सरकार के खिलाफ विद्रोह को बनाए रखने में उनके लेख और पत्राचार महत्वपूर्ण थे,जब प्रमुख आंदोलन नेताओं को मीसा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने वैश्विक प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए भूमिगत प्रकाशन भेजकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँच बनाई।

कई तरह के वेश धारण किए

पहचाने जाने से बचने के लिए, नरेंद्र मोदी ने कई तरह के वेश धारण किए, कभी स्वामीजी तो कभी सिख का वेश धारण किया, जिससे वे अपनी पहचान छुपाने में सफल रहे।

रचनात्मकता पर रोक
फिल्मों पर प्रतिबंध





आपातकाल के दौरान, हिंदी फिल्म उद्योग के कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से सरकार के अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाई

उन्होंने सेंसरशिप, मनमाने करों और यहां तक कि कारावास की धमकियों का सामना करने का भी जिक्र किया।

दो फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था

इन्हें तत्कालीन सरकार और नेताओं की प्रत्यक्ष या प्रतीकात्मक आलोचना के रूप में देखा गया।

भूमिगत आंदोलन और प्रतिरोध की आवाज़ें



आर.के.लक्ष्मण 'सत्यवाणी' में

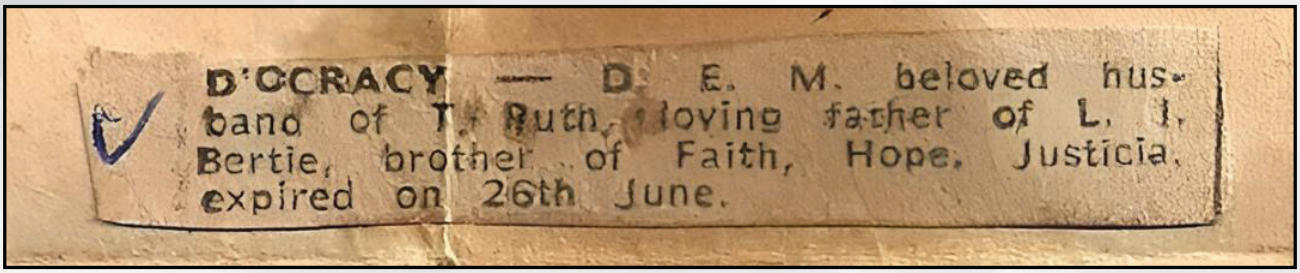


'रणभेरी' - एक साप्ताहिक पत्रिका

जब मुख्यधारा के मीडिया, समाचार पत्र और प्रकाशन क्षेत्र के प्रमुख नामों पर सेंसरशिप लगाई गई थी, तब एक भूमिगत आंदोलन लोगों की आवाज़ को दुनिया भर में ले जा रहा था।

कई प्रकाशनों को भूमिगत होना पड़ा और उन्हें साइक्लोस्टाइल पर छापे गए सीमित संस्करण बांटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ प्रकाशनों ने खुलकर असहमति दिखाने का विकल्प चुना; कुछ ने व्यंग्यात्मक रास्ता चुना जिसे सेंसर आसानी से पकड़ नहीं पाए।

पत्रकार अशोक महादेवन का ‘वर्गीकृत’ विरोध

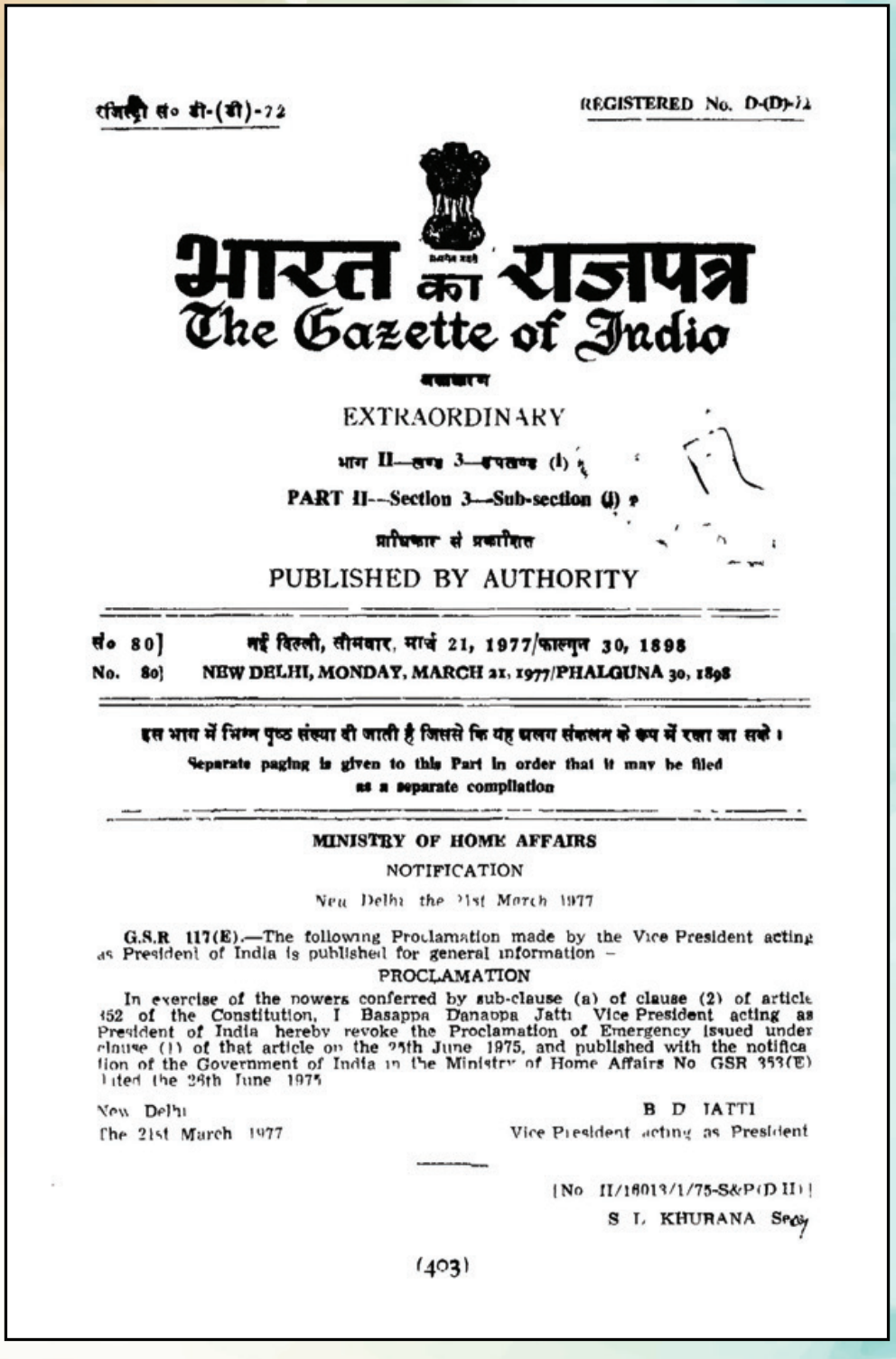

D'OCRACY — D. E. M. beloved husband of T. Ruth, loving father of L. I. Bertie, brother of Faith, Hope, Justicia, expired on 26th June.

28 जून 1976 को टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार अशोक महादेवन द्वारा प्रकाशित एक वर्गीकृत विज्ञापन, जिसमें सेंसर को धोखा देने वाले चतुर शब्दों के माध्यम से आपातकाल पर कटाक्ष किया गया था।

वर्गीकृत विज्ञापन का लेख

D’OCRACY --- D. E. M. beloved husband of T Ruth, loving father of L. I. Bertie, brother of Faith Hope, Justice expired on 26 June.

21 मार्च, 1977 को आपातकाल वापस ले लिया गया इसके तुरंत बाद सरकार बदल गई...



रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 1977/फाल्गुन 30, 1898

No. 80] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 1977/PHALGUNA 30, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 21st March 1977

G.S.R 117(E).—The following Proclamation made by the Vice President acting as President of India is published for general information –

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of article 352 of the Constitution, I Basappa Danappa Jatti Vice President acting as President of India hereby revoke the Proclamation of Emergency issued under clause (1) of that article on the 25th June 1975, and published with the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No GSR 353(E) dated the 26th June 1975

New Delhi
The 21st March 1977

B D JATTI
Vice President acting as President

[No II/16013/1/75-S&P(D II)]

S L KHURANA Secy

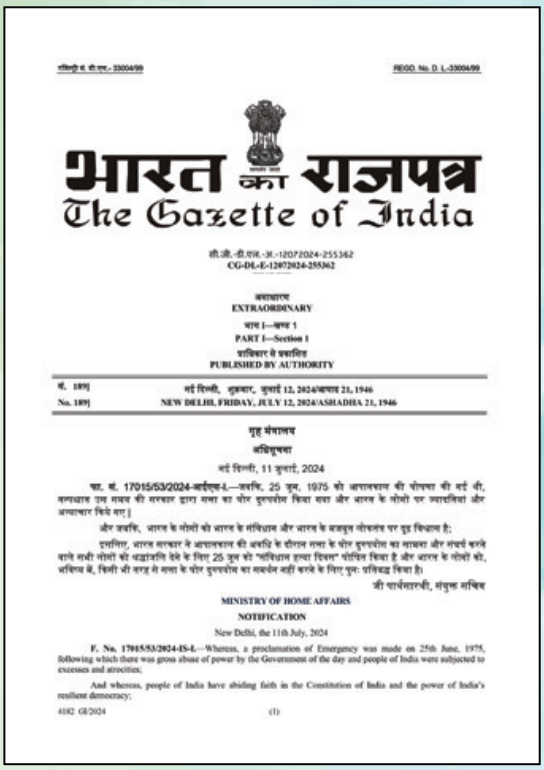
(403)

संविधान हत्या दिवस की घोषणा

"25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाता है कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया था, तो क्या हुआ था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है, जिसने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले थे, जो भारतीय इतिहास का एक काला दौर था।"

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री





रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255362
CG-DL-E-12072024-255362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/आषाढ़ 21, 1946
No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2024/ASHADHA 21, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

फा. सं. 17015/53/2024-आईएस-I.—जबकि, 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियों और अत्याचार किये गए;

और जबकि, भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है;

इसलिए, भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" घोषित किया है और भारत के लोगों को, भविष्य में, किसी भी सरकार से सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है।

जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2024

F. No. 17015/53/2024-IS-I.—Whereas, a proclamation of Emergency was made on 25th June, 1975, following which there was gross abuse of power by the Government of the day and people of India were subjected to excesses and atrocities;

And whereas, people of India have abiding faith in the Constitution of India and the power of India's resilient democracy;

4182 GI/2024 (1)

आपातकाल हटने के बाद: लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक पुनर्जागरण

44वें संशोधन के प्रमुख सुधार

इसने नागरिक स्वतंत्रता को बहाल किया, अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) को आपातकाल के दौरान भी निलंबित न होने योग्य बनाया तथा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया।

इसने अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए वैध कारण के रूप में "आंतरिक अशांति" (जिसका प्रयोग 1975 में अस्पष्ट रूप से किया गया था) के स्थान पर विशेष शब्द "सशस्त्र विद्रोह" को शामिल कर दिया।

राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने के लिए केवल प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कार्य करेंगे।

आपातकाल की अवधि को एक माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा प्रत्येक 6 माह में नवीनीकृत किया जाएगा।

सुशासन के तहत नई पहलें
समावेश, पहुंच और दक्षता को बढ़ावा देना



जन धन योजना

ने वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाया; मुद्रा लोन (₹25 लाख करोड़) ने छोटे उद्यमियों, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को सहायता प्रदान की।

e-पैक्स
सहकार से समृद्धि

e-EPIC

e-EPIC जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स ने शासन तक डिजिटल पहुँच को बेहतर बनाया।



आकांक्षी जिला कार्यक्रम

ने पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए डेटा-संचालित शासन का उपयोग किया। जल जीवन मिशन और पंचायती राज जैसी योजनाओं ने सेवा वितरण को विकेंद्रीकृत करके ग्राम स्वराज को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

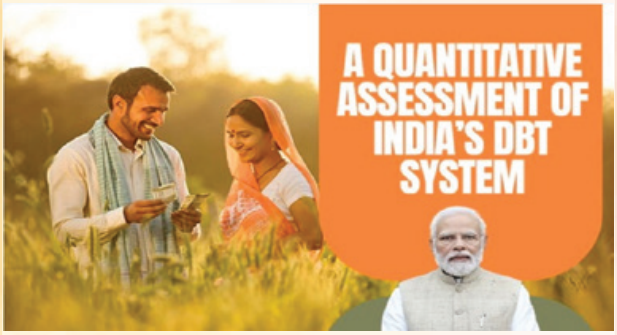


एक राष्ट्र, एक चुनाव

नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित इस प्रयास का उद्देश्य चुनावी थकान को कम करना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है।

परिणामों पर ध्यान और नागरिक केन्द्रित पहलें

OUTPUT-OUTCOME MONITORING FRAMEWORK



नीति आयोग का OOMF योजनाओं पर नज़र रखने और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करता है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से नागरिक केन्द्रित वितरण। लीकेज को कम करके 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म शिकायत निवारण और परियोजना निगरानी को एकीकृत करता है, जिससे जवाबदेही में सुधार होता है।

ऑनलाइन शिकायत पोर्टल रियल टाइम में शिकायत ट्रैकिंग और अधिकारियों से त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।

संविधान और कानूनी अधिकारों की समझ को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार के विभिन्न कदम

नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (CDAP)

486 मिलियन से अधिक नागरिकों तक पहुँचा, जिसमें कई मंत्रालय, राज्य, न्यायपालिका शामिल थे

CSC-आधारित डिजिटल गाँव अभियान: 310 जिलों में 2,409 सत्र - 484,000 ग्रामीणों तक पहुँच

DISHA योजना: कानूनी साक्षरता

वेबिनार और सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से "न्याय तक सबकी पहुँच" पर ध्यान केंद्रित करता है

फरवरी, 2025 तक 2.10 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँच बनाई जा चुकी है

NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) का आउटरीच

कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान

670,000 गाँवों, 4,100 शहरों को कवर किया गया

1,623 कानूनी मेगा कैंप आयोजित किए गए, जिनसे 7.56 मिलियन लोगों को लाभ मिला

नागरिक सशक्तीकरण अभियान

जेलों और चाइल्डकेयर संस्थानों तक पहुँच बढ़ाई गई

2023-24 में 30,043 कानूनी शिविर आयोजित किए गए, जिससे 1.146 मिलियन नागरिकों को लाभ पहुँचा

चुनावी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही

तकनीकी रूप से सक्षम प्रक्रिया का प्रयोग

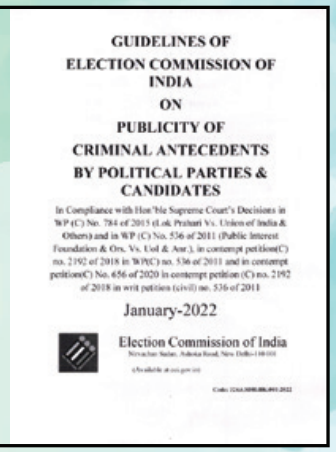
2019 से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 VVPAT के अनिवार्य सत्यापन के साथ VVPAT वाली ईवीएम का अब पूरे देश में उपयोग किया जा रहा है, जिससे ऑडिटिंग सुनिश्चित होती है

मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग 2014 में शुरू हुई, और अब व्यापक रूप से उपयोग की जा रही है (त्रिपुरा 2019, पश्चिम बंगाल 2024), बिहार 2025 के लिए 100% कवरेज की योजना बनाई गई है

अनिवार्य घोषणा, लागू करने में कठोरता

चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता और सोशल मीडिया विनियमों को सख्ती से लागू करना गलत सूचना और अनुचित व्यवहार को कम करता है





GUIDELINES OF
ELECTION COMMISSION OF INDIA
ON
PUBLICITY OF
CRIMINAL ANTECEDENTS
BY POLITICAL PARTIES & CANDIDATES

January-2022

Election Commission of India

लोकतंत्र का सशक्तीकरण: चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा ऐतिहासिक "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" पारित किया गया

महिला आरक्षण विधेयक (2024) संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें सुनिश्चित करता है, जो 2029 में परिसीमन के बाद प्रभावी होंगी

महिलाओं और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है; महिलाओं का मतदाता अनुपात 928/1000 (2019) से बढ़कर 948/1000 (2024) हो गया है, और 19 राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है







जम्मू-कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव और भारी मतदान : लोकतंत्र का उत्सव

जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो पिछले दशकों में सबसे अधिक है: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास की एक शक्तिशाली पुष्टि हुई

2024 के लोकसभा चुनावों में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान दिखाई दिया

यह मतदान, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में, दर्शाता है कि संवैधानिक एकीकरण ने नागरिकों को सशक्त बनाया ताकि वो अपने भविष्य को आकार देने में भाग ले सकें

370 के बाद संस्थागत भागीदारी बढ़ी, विशेष रूप से घाटी में

चरण-3 में 69.69% मतदान; महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक



भारत लोकतंत्र की जननी है



श्री नरेन्द्र मोदी
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें
सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन
25 सितंबर, 2021

“मैं एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जिसे 'लोकतंत्र की जननी' कहे जाने का गौरव प्राप्त है।

हमारे यहां हजारों वर्षों से लोकतंत्र की महान परंपरा रही है।हमारी विविधता हमारे मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।

एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हों, सैकड़ों बोलियां हों, अलग-अलग रहन-सहन हो, अलग-अलग खानपान हो। यह 'वाइब्रेंट डेमोक्रेसी' का बेहतरीन उदाहरण है।”

Ministry of Culture
Government of India



#LongLiveDemocracy